(38)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

I/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा/2018/2393

प्रेमबाई पत्नि अर्जन अहिरवार
निवासी बुडेरा तहसील
बड़ागांव जिला टीकमगढ़ म.प्र.

श्री .... आज दि. 13/4/18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 19-4-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

बनाम

म0प्र0 शासन द्वारा तहसीलदार
बड़ागांव जिला टीकमगढ़ म0प्र0

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता

निगरानी अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 128/अपील/2015–16 में पारित आदेश 20.07.2016 से व्यथित होकर समक्ष श्रीमान् के प्रस्तुत हैं।

महोदय,

निगराकार की ओर से विनय इस प्रकार है –

1. यह कि पुनरीक्षण याचिका अधीनस्थ न्यायालय टीकमगढ़ के आदेश दिनांक 20.07.2016 से व्यथित होकर प्रस्तुत की जा रही है जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है –

2. यह कि भूमि स्थित ग्राम डोगरपुर खसरा नं0 2748/2 रकवा 1.011 है0 का व्यवस्थापन पुनरीक्षणकर्ता ों के पक्ष में किया गया था जो उक्त भूमि पर काबिज कास्त होकर वर्ष 1980 से लगातार उक्त भूमि पर कृषि कार्य उसके पति द्वारा किया जा रहा था आवेदिका के पति की मृत्यु दिनांक 09.11.2009 को हो चुकी है आवेदिका के पति को उक्त भूमि का व्यवस्थापन किया गया था आवेदिका के पति की मृत्यु के उपरांत आवेदिका को व्यवस्थापन उपरांत उत्तराधिकार न देकर प्रश्नाधीन भूमि का पट्टा निरस्त कर विधवा के उत्तराधिकार अधिकारों का हनन कर सामूहिक प्रकरण 36–बी/121/2009–10 दिनांक 1 .05.2010 में शामिल करके बगैर जॉच

कार्यालय राजस्व मण्डल, ग्वालियर
अग्रिम प्रति ....
पृष्ठ क्र. 01 से 13
दिनांक 13/04/18
हस्ताक्षर व नाम ....

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2018/2393

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19/04/2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर दिए गए तर्कों पर विचार किया। प्रकरण को देखन से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा पूर्व में भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पृथक-पृथक अपील प्रस्तुत की गई थी जो अवधि वाह्य होने से दिनांक 30.09.2013 को निरस्त की जा चुकी हैं। आवेदक द्वारा उक्त तथ्यों को छिपाकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील पेश की गई। पुन: अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार न होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील समाप्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। आवेदक अधिवक्ता सक्षम न्यायालय में अपील करने हेतु स्वतंत्र हैं। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	